न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग 4033 – III-15

प्र.क. /2015 निगरानी

श्री डी.एस. चौहान एड. द्वारा आज दि. 17-12-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जनक कुमारी पत्नि लोकपाल लोधी
निवासी– ग्राम सिल्लारपुर, तहसील
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

———आवेदिका

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक
2– अवस्था पत्नि मायाशिव लोधी
3– उमा पुत्री बृन्दाबन पत्नि प्रेमनारायण
4– प्रभा पुत्री बाबूलाल पत्नि गोपाल लोधी
5– मुन्नीराजा पत्नि राजेन्द्र सिंह
निवासीगण– ग्राम सिल्लारपुर, तहसील
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——फॉरमल पक्षकार

निगरानी अन्तर्गत धारा' 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 65/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.1.2012 से परिवेदित होकर।

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

माननीय,

आवेदिका का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदिका द्धारा ग्राम सिल्लारपुर की मूल निवासी होने एंव ग्राम सिल्लारपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 379 मिन रकवा 1.00 हैक्टर में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.250 हैक्टर पर दिनांक 2.10.1984 के पूर्व

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4033 / ।।। / 2015 निगरानी — जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–12–2015	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस.चौहान द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 65 / 2011–12 / अपील में पारित आदेश दिनांक 28.1.2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका जनक कुमारी पत्नि लोकपाल लोधी ने तहसीलदार करैरा के समक्ष ग्राम सिल्लापुर की मूल निवासी होने एंव ग्राम सिल्लारपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 379 मिन रकवा 1.00 हैक्टर में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.250 हैक्टर पर दिनांक 2.10.1984 से पूर्व काविज होकर, भूमिहीन होने तथा आंबटन की पात्रता रखते हुये दिनांक 20.2.2006 को आंबटन हेतु आवेदन पेश किया, तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 22 / 2005–06 / अ 19 पर पंजीवद्ध किया जाकर, आदेश दिनांक 17.3.2006 को (विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984) के तहत आवेदिका के पक्ष में आंबटन किया गया। 3/ तहसीलदार करैरा द्वारा अपने ही न्यायालय के आवेदिका के पक्ष में हुये आंबटन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.3.2006 को पुर्नविलोकन में लेने हेतु अनुविभागीय	

अधिकारी, करैरा से अनुमति चाही गई, अनुविभागीय अधिकारी, करैरा द्वारा दिनांक 11.7.2007 को तहसीलदार करैरा को पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की गई। तहसीलदार करैरा द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त होने पर आवेदिका के आंबटन प्रकरण को पुर्नविलोकन में दर्ज किये बिना, आवेदिका के आंबटन प्रकरण कमांक 22/2005–06/अ 19 में कार्यवाही प्रारम्भ कर आवेदिका का आंबटन, अपने आदेश दिनांक 30.8.2007 के द्वारा निरस्त कर आंबटित भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 65/2011–12/अपील में दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 28.1.2012 को खारिज की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया एंव तहसीलदार करैरा के आंबटन आदेश दिनांक 17.3.2006 के अवलोकन पर पाया गया कि, आवेदिका को भूमि सर्वे नम्बर 379 मिन रकवा 1.00 हैक्टर में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.250 हैक्टर का आंबटन (म.प्र. दखल रहित भूमि विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984) के तहत किया गया था। जिसे तहसीलदार करैरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा से पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त कर आवेदिका का आंबटन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक तीन की कण्डिका– 1 का मानते हुये पुर्नविलोकन

प्रकरण दर्ज किये बिना, विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 30.8.2007 को निरस्त किया गया है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा तहसीलदार करैरा के अवैधानिक आदेश दिनांक 30.8.2007 की पुष्टि की गई है अतः उनका आदेश भी निरस्ती योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 65/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.1.2012 तथा तहसीलदार, करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 22/2005–06/अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.8.2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। फलतः तहसीलदार करैरा द्वारा पूर्व में किया गया आंबटन प्रकरण कमांक 22/2005–06/अ 19 में पारित आदेश दिनांक 17.3.2006 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं एंव निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार करैरा आवेदिका जनक कुमारी के नाम की प्रविष्टि पूर्व की भॉति करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर